(21)

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग—3

संख्या बी–3–3389/दस–2002–2(41)-77–ब्याज
लखनऊ, दिनांक 23 अक्टूबर, 2002

कार्यालय – ज्ञाप

राज्य कर्मचारियों को देय अग्रिमों पर निर्धारित ब्याज की दरों से सम्बन्धित कार्यालय ज्ञाप संख्या बी-3-1748/ दस-98-2(41)-77-ब्याज, दिनांक 02 मई, 1998 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या बी-3-729/दस-2001-2(42)-77–ब्याज, दिनांक 24 अप्रैल, 2001 के आंशिक संशोधन में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 16-12-1997 से 31-03-2001 तक, दिनांक 01-04-2001 से 31-03-2002 तक एवं दिनांक 01-04-2002 से अग्रिम आदेशों तक राज्य कर्मचारियों एवं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को स्वीकृत किये गये भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत एवं विस्तार अग्रिम पर ब्याज की दरें अन्तिम रूप से निम्नवत् होंगी :–

क–राज्य कर्मचारियों को स्वीकृत भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत एवं विस्तार अग्रिम पर ब्याज दर :–

क्र० सं०	स्वीकृत अग्रिम की राशि	ब्याज दर दिनांक 16-12-1997 से 31-03-2001 तक	ब्याज दर दिनांक 01-04-2001 से 31-03-2002 तक	ब्याज दर दिनांक 01-04-2002 से अग्रिम आदेशों तक
1	2	3	4	5
1	रुपये 50,000 तक	11.0 प्रतिशत	10.0 प्रतिशत	9.5 प्रतिशत
2	रुपये 1.50 लाख तक	12.5 प्रतिशत	11.5 प्रतिशत	11.0 प्रतिशत
3	रुपये 2.50 लाख तक	14.5 प्रतिशत	13.5 प्रतिशत	13.0 प्रतिशत

ख–अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को स्वीकृत भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत एवं विस्तार अग्रिम पर ब्याज दर :–

क्र० सं०	स्वीकृत अग्रिम की राशि	ब्याज दर दिनांक 16-12-1997 से 31-03-2001 तक	ब्याज दर दिनांक 01-04-2001 से 31-03-2002 तक	ब्याज दर दिनांक 01-04-2002 से अग्रिम आदेशों तक
1	2	3	4	5
1	रुपये 50,000 तक	11.0 प्रतिशत	10.0 प्रतिशत	9.5 प्रतिशत
2	रुपये 1.50 लाख तक	12.5 प्रतिशत	11.5 प्रतिशत	11.0 प्रतिशत
3	रुपये 5.00 लाख तक	14.5 प्रतिशत	13.5 प्रतिशत	13.0 प्रतिशत
4	रुपये 7.50 लाख तक	15.5 प्रतिशत	14.5 प्रतिशत	14.0 प्रतिशत

किन्तु उक्त ऋण/ब्याज के नियमित रूप से प्रतिदान/भुगतान किये जाने पर ब्याज में 3.5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

उपरोक्तानुसार ब्याज दर जारी होने की दशा में भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत एवं विस्तार अग्रिम पर ब्याज दर सम्बन्धी वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या बी-3-1748/दस-98-2(41)-77-ब्याज, दिनांक 02 मई, 1998 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या बी-3-729/दस-2001-2(42)-77–ब्याज, दिनांक 24 अप्रैल, 2001 उक्त सीमा तक संशोधित पढ़ा जायेगा।

2—अधोहस्ताक्षरी को यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या बी-3-484/दस-2002-2(41)-77-ब्याज, दिनांक 07 मई, 2002 के क्रम में मोटर कार/व्यक्तिगत कम्प्यूटर/मोटर साइकिल/स्कूटर/आटो साईकिल एवं साईकिल हेतु वित्तीय वर्ष 2002-03 में स्वीकृत अग्रिम पर ब्याज की दरें अंतिम रूप से निम्नवत् होंगी :–

क्र० सं०	विवरण	ब्याज दर
1	मोटर कार/व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिम	16.0 प्रतिशत
2	मोटर साईकिल/स्कूटर/मोपेड/आटोसाईकिल अग्रिम	12.5 प्रतिशत
3	साईकिल अग्रिम	10.0 प्रतिशत

किन्तु उक्त ऋण/ब्याज के नियमित रूप से प्रतिदान/भुगतान किये जाने पर ब्याज में 3.5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

3—अधोहस्ताक्षरी को यह भी कहना है कि अखिल भारतीय सेवा के राज्य संवर्ग के उन अधिकारियों के मामलों में जो "दि आल इण्डिया सर्विसेज (हाउस बिल्डिंग एडवान्स) रूल्स, 1978" में दी गई व्यवस्था के अनुसार राज्य सरकार के नियमों के अधीन अग्रिम प्राप्त करते हैं, उपर्युक्त दर पर ही ब्याज देय होगा।

4—उपरोक्त ब्याज दरें उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को भवन निर्माण या वाहन क्रय हेतु अग्रिम) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1997 के नियम-28 की व्यवस्था के अनुसार विधान सभा/विधान परिषद् के सदस्यों द्वारा लिये गये भवन निर्माण/मोटर वाहन अग्रिमों पर भी लागू होगी।

सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

विनय कुमार,
विशेष सचिव।

संख्या बी-3-3389(1)/दस-2002–2(41)–77-ब्याज, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—समस्त विभागाध्यक्ष/जिला जज/ जिलाधिकारी एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

2—महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3—महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय (आडिट), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

4—सचिव, विधान सभा एवं विधान परिषद् सचिवालय।

5—प्रमुख सचिव, राज्यपाल सचिवालय।

6—निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

7—वित्त नियम (कोष्ठक) अनुभाग (दो प्रतियाँ)।

आज्ञा से,
लहरी यादव,
बजट अधिकारी।

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 79 सा० वित्त—28-10-2002—(1607)—2002—12,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।